बजट 2010-2011

वित्त मंत्री

प्रणब मुखर्जी

का

भाषण

26 फरवरी, 2010

अध्यक्ष महोदया,

मैं वर्ष 2010-11 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

मैनें 2009 में, जब इस महान सदन में फरवरी में अन्तरिम बजट और जुलाई में नियमित बजट प्रस्तुत किया था तो भारतीय अर्थव्यवस्था भारी अनिश्चितताओं से जूझ रही थी। विकास की गति धीमी होनी शुरू हो गई थी और कारोबारी माहौल मंद था। विकसित देशों में व्यापक आर्थिक मंदी के चलते, उच्च वृद्धि को बनाए रखने की अर्थव्यवस्था की क्षमता पर गम्भीर आंच आने लगी थी।

2. हमें, तथा अनेक अन्य देशों के नीति निर्माताओं को यह स्पष्ट नहीं था कि इस संकट से आखिरकार कैसे पार पाया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास-गति पर इसका क्या प्रभाव होगा? कितनी जल्दी हम अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में समर्थ होंगे? वैश्विक अर्थव्यवस्था का यह अल्पावधिक परिदृश्य निराशाजनक था और इस बात पर आम सहमति थी कि वर्ष 2009 में सम्पूर्ण विश्व इस संकट की मार झेलता रहेगा।

3. हमारे देश में, दक्षिण-पश्चिमी मानसून के देरी से और सामान्य से कम आने के कारण यह अनिश्चितता और बढ़ गई थी। इससे देश में खरीफ की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। खाद्यान्नों के उत्पादन और खाद्य-पदार्थों की कीमतों तथा ग्रामीण मांग की वृद्धि पर इनके संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चिन्ताएं होने लगी थीं।

4. आज, जब मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने इन संकटों का अच्छी तरह सामना किया है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था, एक वर्ष पहले की स्थिति के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आज चुनौतियां, नौ महीने पहले जब श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार वापस सत्ता में आयी थी और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने दूसरी बार सरकार का गठन किया था, के मुकाबले कम हैं।

5. अपने पिछले बजट भाषण में मैंने जिन तीन चुनौतियों और मध्यावधिक परिप्रेक्ष्य का जिक्र किया था, वे आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। ये अगले कुछ वर्ष तक भारतीय नीति-निर्धारकों के लिए दिशा-निर्देशों का काम करते रहेंगे।

6. हमारे सामने *पहली* चुनौती, 9 प्रतिशत के उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के रास्ते पर तेजी से लौटने और फिर 'दोहरे अंक के वृद्धि अवरोध' को पार करने हेतु साधनों को पाने की है। इसके लिए विगत कुछ महीनों में देखी गई वृद्धि में प्रभावशाली सुधार को नई गति प्रदान करने की आवश्यकता है। आगामी महीनों में, सुधार की इस प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाने के इस प्रयास में, मैं इन्द्र देव की सहायता का आह्वान करता हूं।

7. विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना करने और बनने की वह हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। अतः *दूसरी* चुनौती विकास को अधिक समावेशी बनाने में हालिया उपलब्धियों के समेकन हेतु आर्थिक वृद्धि को सही ढंग से काम में लाने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को और बढ़ाना होगा जिससे एक निश्चित समय-सीमा में वांछित उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।

8. हमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना होगा, शिक्षा के अवसर बढ़ाने होंगे और परिवार स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता है और हमें ये संसाधन ढूंढने होंगे।

9. *तीसरी* चुनौती, प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, संरचनाओं और संस्थाओं में कमजोरियों से सम्बन्धित है। वास्तव में, आने वाले वर्षों में, यदि कोई कारक हमें एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में हमारी क्षमता को साकार करने में बाधक हो सकता है तो वह हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों की अड़चन है। इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में, समय-समय पर अनेक पहल की गई हैं। उनमें से कुछ उन क्षेत्रों में सरकारी कामकाज के तौर-तरीकों में सुधार लाने में कारगर रहे हैं। परन्तु इस मोर्चे पर कामयाबी की संतुष्टि होने से पूर्व हमें बहुत कुछ करना बाकी है।

10. केन्द्रीय बजट सरकारी लेखा-जोखा की महज एक घोषणा नहीं हो सकती है। इसमें सरकार की दूरदृष्टि और भावी नीतियां परिलक्षित होती हैं।

11. विकास और आर्थिक सुधारों के चलते, आर्थिक क्रियाकलापों का केन्द्रबिन्दु अब गैर-सरकारी संगठनों की ओर हो गया है। इससे एक सामर्थ्यकारी के रूप में सरकार की भूमिका पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाने लगा है।

12. एक समर्थ सरकार अपने नागरिकों की जरूरत की प्रत्येक चीज सीधे तौर पर वितरित करने का प्रयास नहीं करती है। वास्तव में यह एक ऐसी सशक्त व्यवस्था तैयार करती है जिससे वैयक्तिक उद्यमशीलता और सृजनशीलता फले-फूले। सरकार समाज के लाभ-वंचित वर्गों की मदद करने और सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करती है।

13. बजट की यही आम अवधारणा आज मेरे भाषण का आधार है। मैं अब अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त सिंहावलोकन प्रस्तुत करके आरंभ करूंगा।

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

14. कल, मैंने सभा-पटल पर आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की थी। इसमें पिछले बारह महीनों के दौरान देश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। मैं केवल कुछ प्रमुख बातें बताना चाहता हूं जो इस बजट की पृष्ठभूमि बनी हैं।

15. वित्त वर्ष 2009-10 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। 2008-09 की दूसरी छमाही में उल्लेखनीय गिरावट से, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, पिछले तीन वर्षों में 9 प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि से गिरकर 6.7 प्रतिशत हो गई थी। हम विश्व के पहले कुछ देशों में थे जिन्होंने वैश्विक मंदी के नकारात्मक परिणामों से निपटने के लिए व्यापक

नीतिगत पैकेज पर अमल किया। इसमें उदार मौद्रिक नीतिगत सहायता के साथ-साथ प्रचुर राजकोषीय विस्तार शामिल था।

16. इन नीतिगत उपायों की कारगरता त्वरित सुधार से स्पष्ट हुई है। अर्थव्यवस्था में 2009-10 की पहली तिमाही में ही स्थिरता आने लगी थी, जब इसने गत वर्ष की चौथी तिमाही में दर्ज की गयी 5.8 प्रतिशत की तुलना में 6.1 प्रतिशत की स.घ.उ. वृद्धि दर्ज की थी। दूसरी तिमाही में इसमें बहुत मजबूती आई और वृद्धि दर बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई। अग्रिम अनुमानों में 2009-10 की सम्भावित वृद्धि 7.2 प्रतिशत आंकी गई है। इससे वास्तव में, हमारा नीतिगत दृष्टिकोण सही साबित हुआ है। 2009-10 की तीसरी और चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों के उपलब्ध होने पर अंतिम आंकड़े इससे भी बेहतर हो सकते हैं।

17. यह बहाली बहुत उत्साहवर्धक है क्योंकि यह कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि के बावजूद हासिल हुई है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विनिर्माण क्षेत्र में फिर से आई तेजी का परिणाम है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में इस सेक्टर के उदय का द्योतक है। दिसम्बर, 2009 में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 18.5 प्रतिशत रही। यह विगत दो दशकों में सर्वाधिक है। पण्य निर्यातों में भी, लगातार लगभग बारह माह की गिरावट के बाद, नवम्बर और दिसम्बर 2009 में सकारात्मक वृद्धि के चलते बदलाव के संकेत हैं। जनवरी के निर्यात संबंधी आंकड़े उत्साहवर्धक हैं। आशा है कि भारी मात्रा में निजी निवेश अब 9 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि बनाए रखने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। मुझे आशा है कि कुछ भाग्य का साथ मिलने पर निकट भविष्य में 10 प्रतिशत का आंकड़ा पार किया जा सकता है।

18. वर्ष 2009-10 की दूसरी छमाही के दौरान एक प्रमुख चिन्ता दो अंकों में खाद्य मुद्रास्फीति का होना रहा है। 2008 में वित्तीय संकट से पूर्व वस्तुओं के मूल्य में आई वैश्विक तेजी के समय से खाद्य मूल्यों में बढ़ोतरी होने लगी थी, परन्तु यह आशा थी कि जून 2009 से आरंभ होने वाले कृषि मौसम से खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। तथापि, देश के बड़े भू-भाग में अनिश्चित मानसून और सूखे जैसी स्थितियों से कुछ अनिवार्य वस्तुओं की आर्थिक आपूर्ति संबंधी अड़चनें पैदा हो गई। इससे मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाएं व्याप्त हो गईं। दिसम्बर 2009 से ऐसे संकेत मिले हैं कि ईंधन उत्पादों के मूल्यों में क्रमिक बढ़ोतरी के साथ-साथ खाद्य पदार्थों के इन उच्च मूल्यों का असर अन्य खाद्य-भिन्न वस्तुओं के मूल्यों में बढ़त के रूप में हो रहा है। जनवरी के मुद्रास्फीति के आंकड़े इस रूझान की पुष्टि करते जान पड़ते हैं।

19. सरकार इस स्थिति के प्रति पूरी तरह सचेत है और उसने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सलाह मशविरे से अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों से अगले कुछ महीनों में मुद्रास्फीति नीचे आ सकेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि देश में खाद्य सुरक्षा का बेहतर प्रबन्धन है।

विकास का सुदृढ़ीकरण

20. एक जटिल अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन एक कठिन कार्य है, विशेषकर तब जब यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। फिर भी हमें उपाय तलाशने होंगे और इन उपायों को सही समय पर करना होगा।

21. वैश्विक मंदी के प्रभावों से सफलतापूर्वक उबरने के बाद, हमें विकास में पुनः आई तेजी को आगे बढ़ाने और मध्यावधि में इसे बनाए रखने हेतु देश के वृहत आर्थिक वातावरण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमें अर्थव्यवस्था को प्रदान किए गए प्रोत्साहन उपायों की समीक्षा करने और संकट पूर्व के पांच वर्ष की अवधि में पर्याप्त वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाले राजकोषीय

समेकन के तरजीही रास्ते पर बढ़ने की आवश्यकता है। हमें विकास के आधार को अधिक व्यापक बनाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपूर्ति-मांग असंतुलनों का प्रबन्धन बेहतर ढंग से हो।

राजकोषीय समेकन

22. घरेलू मांग को बढ़ाने में वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की सफलता का पता इसकी संरचना से लगाया जा सकता है। सरकार का दृष्टिकोण अप्रत्यक्ष करों में कटौतियां करके और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम तथा ग्रामीण अवसंरचना जैसे कार्यक्रमों पर सरकारी व्यय बढ़ा कर लोगों के हाथों में खर्च योग्य आमदनी बढ़ाने का था। अब, जबकि स्थिति में सुधार होने लगा है, सरकारी खर्चो की समीक्षा करने, संसाधन जुटाने और उन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाने में लगाने की आवश्यकता है।

23. वर्ष 2010-11 की राजकोषीय नीति बनाने में, मैंने तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्य किया है। इसने पिछले दो वर्षों के प्रोत्साहनकारी राजकोषीय दृष्टिकोण से संतुलित निकासी की नीति की सिफारिश की है। आयोग ने 2014-15 तक केन्द्र और राज्यों के कुल ऋण की अधिकतम सीमा, सकल घरेलू उत्पाद के 68 प्रतिशत पर करने की सिफारिश की है।

24. राजकोषीय समकेन प्रक्रिया के भाग के रूप में, यह पहली बार होगा कि सरकार घरेलू सरकारी ऋण-स.घ.उ. अनुपात में एक सुस्पष्ट कटौती का लक्ष्य तय करेगी। मेरा छह माह के भीतर एक प्रास्थिति पत्र लाने का इरादा है। इसमें स्थिति का विस्तृत विश्लेषण और समग्र सरकारी ऋण को कम करने का खाका दिया जाएगा। इसके बाद, इस विषय पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

कर सुधार

25. मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि एक सरल कर प्रणाली बनाने की प्रक्रिया अब पूरी होने को है। इस प्रणाली में अपवाद न्यूनतम होंगे और स्वैच्छिक कर अनुपालन संवर्धित करने के उद्देश्य से निम्न दरें होंगी। प्रत्यक्ष कर संहिता के संबंध में हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि सरकार 1 अप्रैल, 2011 से प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू करने की स्थिति में होगी।

26. वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में, हम इसकी संरचना पर एक व्यापक सहमति बनाने पर ध्यान केन्द्रित करते रहे हैं। नवम्बर, 2009 में, राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी पहला परिचर्चा पत्र आम जनता की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया। तेरहवें वित्त आयोग ने भी वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जिनसे इस बारे में चल रहे विचार-विमर्शों में सहायता मिलेगी। हम वस्तु एवं सेवा कर की संरचना तथा इसके शीघ्र कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अन्तिम रूप देने के लिए सशक्त समिति के साथ सक्रियतापूर्वक जुटे हैं। मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि अप्रैल, 2011 में प्रत्यक्ष कर संहिता के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर को लागू कर दिया जाए।

पब्लिक सेक्टर उपक्रमों का लोक स्वामित्व

27. 2009-10 का बजट प्रस्तुत करते समय, मैनें केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की सम्पति और समृद्धि में भागीदारी के लिए सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए जनता को आमन्त्रित किया था।

28. उसके बाद, आइल इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी, एनटीपीसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में स्वामित्व को व्यापक आधार प्रदान किया गया है जबकि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और सतलुज जल विद्युत निगम में यह प्रक्रिया चल रही है। सरकार मौजूदा वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस प्रक्रिया के जरिए, मेरा 2010-11 के दौरान इससे अधिक राशि जुटाने का प्रस्ताव है। इन प्राप्तियों का उपयोग नई आस्तियां सृजित करने हेतु सामाजिक क्षेत्र की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा।

29. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के सूचीयन से, सभी हितधारकों, सरकार, कम्पनी और शेयरधारकों के हितों में बढ़ोतरी की सम्भावना के अतिरिक्त, कारपोरेट प्रशासन में सुधार होता है। अक्तूबर, 2004 के बाद से सूचीबद्ध पांच कम्पनियों का बाजार पूंजीकरण, अंकित मूल्य 78,841 करोड़ रुपए से 3.8 गुणा बढ़कर 2,98,929 करोड़ रुपए हो गया है।

30. सरकारी व्यय को सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप लाकर, इसका प्रभावी प्रबंधन राजकोषीय समेकन प्रक्रिया का भाग है। इसके लिए सब्सिडियों को समुचित रूप से लक्षित करने और व्यय समायोजन की आवश्यकता है।

उर्वरक सब्सिडी

31. मैंने 2009 के अपने बजट भाषण में उर्वरक सेक्टर के लिए सरकार के आशय की घोषणा की थी। सरकार द्वारा तदन्तर, उर्वरक सेक्टर के लिए एक पोषण आधारित सब्सिडी नीति मंजूर की गई है और यह 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगी। आशा है कि इस नीति से नए पुष्ट उत्पादों के जरिए संतुलित उर्वरक प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और इस नीति का फोकस उर्वरक उद्योग द्वारा विस्तार सेवाओं पर होगा। इससे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और परिणामस्वरूप किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। इस नीति के लागू होने से सब्सिडी बिल में कमी होने के अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी की मांग की अस्थिरता में कमी आएगी। सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि संक्रमण वर्ष 2010-11 में पोषक आधारित उर्वरक मूल्य इस समय मौजूद अधिकतम खुदरा मूल्यों के आसपास बने रहें। इस नई प्रणाली से किसानों को सीधे सब्सिडियां देने का मार्ग प्रशस्त होगा।

पेट्रोलियम और डीजल मूल्य-निर्धारण नीति

32. पिछले बजट में, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहार्य तथा टिकाऊ प्रणाली पर सरकार को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने की घोषणा की गयी थी। श्री किरिट पारीख की अध्यक्षता में गठित समूह ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इन सिफारिशों पर निर्णय मेरे सहयोगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा यथा समय लिया जाएगा।

33. मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि हमने पिछले वर्ष के बजट दस्तावेजों के भाग के रूप में न केवल राजकोषीय रोडमैप का पालन किया, बल्कि इसमें सुधार भी किए। वर्ष 2008-09 की देयताओं की पूर्ति करने के सिवाय, हमने तेल अथवा उर्वरक बांड जारी नहीं किए। जब मैं कुछ समय बाद बजट अनुमानों का उल्लेख करूंगा, तब मैं इन बांडों की संख्या बताऊंगा।

निवेश माहौल में सुधार

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

34. इस वर्ष, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अन्तर्प्रवाह वैश्विक पूंजी प्रवाहों में गिरावट के बावजूद सतत बना रहा। भारत में अप्रैल-दिसंबर, 2009 के दौरान 20.9 बिलियन अमरीकी डालर का एफडीआई इक्विटी अन्तर्प्रवाह प्राप्त हुआ जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 21.1 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुआ था।

35. सरकार ने एफडीआई व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि यह विदेशी निवेशकों की समझ में आसानी से आ जाए। पहली बार, स्वामित्व तथा नियंत्रण को एफडीआई नीति के मुख्य भाग के रूप में मान्यता प्रदान की गयी तथा भारतीय कम्पनियों में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आकलन की पद्धति को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया। डाउनस्ट्रीम निवेश सम्बन्धी एक ठोस नीति भी तैयार की गयी है। मूल्य निर्धारण और प्रौद्योगिकी अन्तरण शुल्क, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम का भुगतान एवं रॉयल्टी भुगतानों के पूर्णतः उदारीकरण संबंधी एक अन्य पहल रही है। इन भुगतानों को अब स्वतः अनुमोदित मार्ग के अन्तर्गत किया जा सकता है।

36. सरकार की मंशा एफडीआई नीति को, पहले के सभी विनियमों तथा दिशानिर्देशों को एक व्यापक दस्तावेज में समेकित करके, प्रयोक्ता अनुकूल भी बनाना है। इससे विदेशी निवेशकों के लिए हमारी एफडीआई नीति की सुस्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता बढ़ जाएगी।

वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद

37. वर्ष 2008-09 के वित्तीय संकट से सम्पूर्ण विश्व में बैंकिंग तथा वित्तीय बाजारों की संरचना में मूलभूत अन्तर आया। वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के तंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा सांस्थानिक रूप देने की दृष्टि से, सरकार ने एक शीर्ष स्तरीय वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया है। विनियामकों की स्वायत्तता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह परिषद बड़े पैमाने पर वित्तीय एकीकरण की कार्यप्रणाली सहित अर्थव्यवस्था के वृहद् विवेकसम्मत पर्यवेक्षण को मॉनीटर करेगी और अन्तर-विनियामक समन्वय सम्बन्धी मुद्दों का समाधान करेगी। यह परिषद् वित्तीय बोधगम्यता तथा वित्तीय समावेशन पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करेगी।

बैंकिंग लाइसेंस

38. भारतीय बैंकिंग प्रणाली इस संकट से अछूती रही। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बैंकिंग प्रणाली आकार तथा सुविज्ञता में आगे बढ़े ताकि आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इसके अतिरिक्त, बैंकों के भौगोलिक कवरेज को विस्तार देने तथा बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के भागीदारों को कुछ अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार कर रहा है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे भारतीय रिजर्व बैंक के पात्रता मानदण्डों की पूर्ति करें।

पब्लिक सेक्टर बैंकों का पूंजीकरण

39. वर्ष 2008-09 के दौरान, सरकार ने चार पब्लिक सेक्टर बैंकों में पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात का वहनीय स्तर बनाए रखने के लिए, टियर-I कैपिटल के बतौर 1900 करोड़

रुपए डाले। 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अब डाली जा रही है। वर्ष 2010-11 के लिए, मैं 16,500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक 31 मार्च, 2011 तक न्यूनतम 8 प्रतिशत टियर-I कैपिटल प्राप्त कर सकें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूंजीकरण

40. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन बैंकों की पूंजी की साझीदारी केन्द्र सरकार, प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इन बैंकों का अन्तिम पूंजीकरण 2006-07 में हुआ था। मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने हेतु और पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं ताकि उनके पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वर्धित ऋण प्रदान करने हेतु पर्याप्त पूंजी आधार हो।

कारपोरेट गवर्नेंस

41. देश में कारपोरेट गवर्नेंस तथा विनियम में सुधार, समग्र निवेश माहौल बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने संसद में कम्पनी विधेयक, 2009 प्रस्तुत किया है। यह मौजूदा कम्पनी अधिनियम, 1956 का स्थान लेगा। यह प्रस्तावित नया विधेयक बदलते कारोबारी माहौल के परिप्रेक्ष्य में कारपोरेट क्षेत्र में विनियम से सम्बद्ध मुद्दों का समाधान करेगा।

निर्यात

42. सरकार ने कतिपय क्षेत्रों में निर्यात हेतु 31 मार्च, 2010 तक लदान-पूर्व निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। मैं इस 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता को एक वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा तथा लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

43. विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने बड़ी मात्रा में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित किया है। 2009-10 की पहली तीन तिमाहियों में, सेज से प्राप्त निर्यात ने, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, 127 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सरकार सेज का निरन्तर विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि निवेश आकृष्ट हो और निर्यात एवं रोजगार को बढ़ावा मिले।

कृषि विकास

44. कृषि क्षेत्र समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने, ग्रामीण आय को बढ़ाने तथा खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के हमारे संकल्प का केन्द्र बिन्दु है। इस क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाने हेतु, सरकार का इरादा *चतुर्थ स्तरीय कार्ययोजना* का अनुसरण करने का है जिसमें (क) कृषि उत्पादन; (ख) उत्पाद की बर्बादी में कमी; (ग) किसानों को ऋण सहायता; और (घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर जोर देना शामिल हैं।

45. कार्ययोजना का *पहला घटक*, ग्राम सभाओं तथा किसान परिवारों के सक्रिय सहयोग से, हरित क्रान्ति का विस्तार देश के पूर्वी क्षेत्र में करना है जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा शामिल हैं। वर्ष 2010-11 के लिए, मैं इस पहल हेतु 400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

46. गणतंत्र के 60वें वर्ष में, 2010-11 के दौरान वर्षापोषित क्षेत्रों में 60,000 "दलहन और तेल बीज ग्रामों" को आयोजित करने और जल संचयन, जल संभर प्रबन्धन तथा मृदा स्थिति के

लिए एकीकृत तंत्र की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ताकि शुष्क भू-कृषि क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। मैं इस प्रयोजनार्थ 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। यह प्रोत्साहन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक अभिन्न भाग होगा।

47. संरक्षित कृषि जिसमें मृदा स्थिति, जल संरक्षण तथा जैव-विविधता के परिरक्षण में एक साथ ध्यान देना शामिल है, के माध्यम से हरित क्रान्ति वाले क्षेत्रों में पहले से प्राप्त लाभों को कायम रखा जाएगा। मैं इस जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु 200 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं।

48. कार्ययोजना का *दूसरा घटक*, देश में भण्डारण में बड़ी मात्रा में बर्बादी को कम से कम करने तथा मौजूदा खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रचालन से सम्बद्ध है। इसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने हाल में कहा है "*हमें बेहतर प्रतिस्पर्द्धा की आवश्यकता है और इसलिए खुदरा व्यापार को खोलने के लिए ठोस दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है*"। इससे खेत स्तरीय कीमतों, थोक मूल्य कीमतों तथा खुदरा कीमतों के बीच व्याप्त भारी अन्तर को पाटने में सहायता मिलेगी।

49. भारतीय खाद्य निगम के पास भण्डारण क्षमता की भारी कमी के कारण बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीदे गए अनाज की बर्बादी होती है। भण्डारण क्षमता में यह घाटा निजी क्षेत्र की भागीदारी से मौजूदा योजना के जरिए पूरा किया जाता है जहां भारतीय खाद्य निगम प्राइवेट पार्टियों से 5 वर्ष की गारंटी अवधि हेतु गोदाम किराए पर लेता रहा है। इस अवधि को अब बढ़ाकर 7 वर्ष किया जा रहा है।

50. कार्ययोजना का *तीसरा घटक* किसानों की ऋण उपलब्धता में सुधार करने से सम्बद्ध है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि बैंक पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को लगातार पूरा करते रहे हैं। वर्ष 2010-11 हेतु, यह लक्ष्य मौजूदा वर्ष में 3,25,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,75,000 करोड़ रुपए किया गया है।

51. "*किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना*" सं.प्र.ग. सरकार की एक मुख्य पहल थी। देश के कुछ राज्यों में हाल के सूखे और कुछ अन्य भागों में आयी भयंकर बाढ़ को देखते हुए, मैं किसानों द्वारा लिए गए ऋण की वापसी अदायगी अवधि को 31 दिसम्बर, 2009 से 30 जून, 2010 तक छह माह बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

52. पिछले बजट में, मैंने अल्पावधि फसल ऋणों की समय अनुसूची के अनुसार अदायगी करने वाले किसानों हेतु प्रोत्साहन स्वरूप 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज आर्थिक सहायता मुहैया करायी थी। मैं 2010-11 में इस आर्थिक सहायता को फसल ऋणों की समय पर अदायगी करने वाले किसानों हेतु 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार, ऐसे किसानों हेतु ब्याज की प्रभावी दर प्रति वर्ष 5 प्रतिशत होगी। बजट में इस विषय में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है।

53. कार्ययोजना के *चौथे घटक* का उद्देश्य अत्याधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करना है। पहले से स्थापित दस मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के अतिरिक्त, सरकार ने ऐसे पांच और पार्कों की स्थापना का निर्णय लिया है।

54. बाजार योजना के लिए कृषि के भाग के रूप में, विदेशी वाणिज्यिक उधार अब से कोल्ड स्टोरेज अथवा कोल्ड रूम सुविधा हेतु उपलब्ध होंगे जिनमें कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु फार्म लेवल प्री-कूलिंग शामिल होगा। ईसीबी नीति के अन्तर्गत आधारभूत संरचना की परिभाषा में परिवर्तन किए जा रहे हैं।

आधारभूत संरचना

55. आर्थिक विकास को बनाए रखने हेतु सड़कों, बंदरगाहों, हवाई-अड्डों तथा रेलवे जैसे उच्च गुणवत्ता वाले वास्तविक आधारभूत संरचना का त्वरित विकास अत्यावश्यक है। इस क्षेत्र में नीतिगत अन्तरालों का समाधान करते समय, मैं ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के उन्नयन पर यथावत जोर देने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 2010-11 के बजट में, मैंने देश में आधारभूत संरचना के विकास हेतु 1,73,552 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जो कुल आयोजना आबंटन का 46 प्रतिशत से अधिक है।

56. सड़क क्षेत्र में स्पष्ट सुधार दिखाई दे, इस हेतु सरकार ने प्रतिदिन 20 कि.मी. की गति से राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के निर्माण का लक्ष्य रखा है। कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु, नीतिगत ढांचे में, विशेष रूप से सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के सम्बन्ध में, परिवर्तन किए गए हैं। वर्ष 2010-11 हेतु, मैं सड़क परिवहन हेतु इस आबंटन को 17,520 करोड़ रुपए से 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 19,894 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

57. माननीय सदस्य रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण एवं विस्तारण हेतु अपेक्षित बड़ी मात्रा में निवेश के सम्बन्ध में रेलमंत्री के विचारों से पहले से अवगत हैं। मैंने बजट 2010-11 में रेलवे की सहायता हेतु 16,752 करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान किया है। पिछले वर्ष रेलवे के लिए बजटीय सहायता में पर्याप्त बढ़ोतरी की गयी थी। यह उसकी अपेक्षा लगभग 950 करोड़ रुपए अधिक है।

58. समर्पित फ्रेट कॉरिडोर को अनुपूरक करने हेतु, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक मार्ग परियोजना एकीकृत क्षेत्रीय विकास के लिए शुरू की गयी है। पारिस्थितिकी-अनुकूल विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना वाले छह औद्योगिक निवेश केन्द्रों (नोड्स) के सृजन का प्रारम्भिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड

59. सरकार ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना की है। इसका संवितरण मार्च 2010 की समाप्ति तक 9,000 करोड़ रुपए तक और मार्च 2011 तक 20,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने की आशा है। इस कम्पनी को आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाओं को बैंक ऋण से वित्तपोषित करने हेतु भी प्राधिकृत किया गया है। इसने मौजूदा वर्ष के दौरान 3,000 करोड़ रुपए का पुनर्वित्तपोषण किया तथा इस राशि के 2010-11 में दुगुनी से अधिक होने की आशा है। पिछले बजट में घोषित वित्तपोषण प्राप्त करने की योजना से यह आशा है कि प्रारम्भ में, इससे आगामी तीन वर्षों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के वित्तपोषण की व्यवस्था होगी।

ऊर्जा

60. सरकार विद्युत क्षेत्र में क्षमता वर्धन को उच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की उच्च क्षमता वाले विद्युत संयंत्रों में अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी को शामिल करने सम्बन्धी ढांचा अब प्रभावी है। मेगा पावर पालिसी को संशोधित किया गया है और अब यह राष्ट्रीय विद्युत

नीति, 2005 तथा टैरिफ नीति, 2006 के अनुरूप है। इससे वितरण इकाइयों द्वारा उत्पादन लागत तथा खरीद की गयी विद्युत लागत को कम करने में मदद मिलेगी। मैनें विद्युत क्षेत्र हेतु आयोजना आबंटन को, 2009-10 में किए गए 2,230 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, 2010-11 में 5,130 करोड़ रुपए करते हुए दुगुने से अधिक कर दिया है। इसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जो भारत निर्माण का एक भाग है, के लिए आबंटन शामिल नहीं है।

61. कोयला भारतीय ऊर्जा क्षेत्र का मुख्य आधार है और वर्तमान में 75 प्रतिशत विद्युत उत्पादन कोयला आधारित है। केप्टिव माइनिंग हेतु कोयला ब्लाकों का आबंटन करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आरम्भ करने का प्रस्ताव है ताकि इन ब्लाकों से उत्पादन में बेहतर पारदर्शिता और वर्धित भागीदारी सुनिश्चित हो।

62. कोयला क्षेत्र में एक समान व्यवस्था के निर्माण हेतु "कोयला विनियामक प्राधिकरण" की स्थापना करने के लिए, सरकार कदम उठाना चाहती है। इससे कोयले के किफायती मूल्य निर्धारण और निष्पादन मानक की बैंचमार्किंग जैसे मुद्दों का समाधान करने में आसानी होगी।

63. जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन में भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने की बात कही गयी है। इस मिशन के तहत, वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हेतु योजना परिव्यय को 61 प्रतिशत बढ़ाकर, 2009-10 में किए गए 620 करोड़ रुपए से 2010-11 में 1,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

64. जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र की जलवायु अधिक प्रतिकूल है और यह क्षेत्र ऊर्जा कमी से ग्रस्त है। इस समस्या के समाधान हेतु, लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से सौर, लघु जल, एवं माइक्रो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन

65. नकारात्मक पर्यावरणीय परिणामों तथा औद्योगिकरण और शहरीकरण से सम्बद्ध वर्धित प्रदूषण स्तरों में सुधार करने के लिए, मैं बजट 2010-11 में कई सकारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव करता हूं।

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)

66. देश में कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तरों तक पहुंच गया है। जहां एक ओर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि "प्रदूषक के कीमत चुकाने" का सिद्धांत प्रदूषण प्रबन्धन का मूल दिशानिर्देश मानदण्ड बना रहे, वहीं हमें स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर सकारात्मक जोर भी देना होगा। मैं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान तथा अभिनव परियोजनाओं के निधिपोषण हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। मैं इसके निधिपोषण की विधि को अपने भाषण के भाग ख में रेखांकित करूंगा।

बहिःस्राव शोधन संयंत्र, तिरुपुर

67. तिरुपुर, तमिलनाडु में स्थित टेक्सटाइल निटवियर क्लस्टर देश के हॉजरी निर्यात में मुख्य योगदानकर्त्ता है। मैं तमिलनाडु सरकार को तिरुपुर में इस उद्योग को बनाए रखने हेतु जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली के स्थापन की लागत हेतु एकबारगी 200 करोड़ रुपए का अनुदान

उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। यह उद्योग, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है।

गोवा के लिए विशेष स्वर्ण जयंती पैकेज

68. मैं गोवा के लिए विशेष स्वर्ण जयंती पैकेज के बतौर 200 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। यह राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को इसके बीचों, जिनके कटाव की संभावना है, का पुनरूद्धार कर और सतत वानिकी के जरिए इसका हरित क्षेत्र बढ़ाकर प्राकृतिक संसाधनों को परिरक्षित करेगा।

राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण (एनजीआरबीए)

69. "मिशन स्वच्छ गंगा 2020" का यह उद्देश्य है कि नगर निगम का शोधित न किया गया कोई भी मलव्ययन अथवा औद्योगिक बहिःस्राव राष्ट्रीय नदी में नहीं बहाया जाएगा। यह मिशन पहले आरम्भ किया जा चुका है। मैं इस प्राधिकरण के लिए वर्ष 2010-11 का आवंटन दुगुना कर 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

70. मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नाडिया जिले के कुछ भागों में भागीरथी नदी और गंगा-पद्मा नदी के तटबंध संरक्षण निर्माण कार्य योजनाएं केन्द्र द्वारा प्रायोजित बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल की गयी है। मैं पश्चिम बंगाल के पूर्व और पश्चिम मिदनापुर जिले में कालियाघई-कपलेश्वरी बघई थाला की जलनिकासी योजना तथा मुर्शिदाबाद, में कांदी उप-मंडल की मास्टर प्लान हेतु बजटीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

71. पश्चिम बंगाल में वैकल्पिक पत्तन सुविधा के विकास की आवश्यकता को देखते हुए सागर द्वीप में एक परियोजना तैयार करने का प्रस्ताव है। उचित समय पर आवश्यक निधियाँ प्रदान की जाएंगी।

समावेशी विकास

72. सं.प्र.ग. सरकार के लिए समावेशी विकास विश्वास का एक कार्य है। विगत पाँच वर्षों में, हमारी सरकार ने व्यक्ति के सूचना के अधिकार और अपने कार्य के अधिकार के लिए विधिक गारंटियों द्वारा समर्थित हकदारियों का सृजन किया है। इसके पश्चात् वर्ष 2009-10 में शिक्षा के अधिकार का अधिनियम बना। अगले कदम के रूप में, अब हम खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारूप के साथ तैयार हैं जिसे जल्द ही आम जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इन वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए, सामाजिक क्षेत्र पर होने वाला व्यय क्रमिक रूप से बढ़ाकर 1,37,674 करोड़ रुपए किया गया है। यह 2010-11 में कुल आयोजना परिव्यय का 37 प्रतिशत है। आयोजना आवंटनों का अन्य 25 प्रतिशत ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु रखा गया है। इससे होने वाले विकास और उत्पन्न अवसरों से हमें आशा है कि समावेशी विकास की प्रक्रिया और मजबूत होगी।

शिक्षा

73. बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 6 से 14 वर्ष के आयु-समूह के सभी बच्चों को समता और भेदभाव-रहित सिद्धांतों पर आधारित अच्छी

गुणवत्ता की शिक्षा की विधिक हकदारी हेतु, एक ढांचे के निर्माण का उल्लेख है। हाल के वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा हेतु नामांकन और अवसंरचना में सुधार लाने में सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लगभग 98 प्रतिशत बस्तियां अब प्राथमिक स्कूलों के दायरे में आती हैं। स्कूली शिक्षा के लिए, मैं वर्ष 2009-10 के 26,800 करोड़ रुपए के आयोजना आवंटन को बढ़ाकर वर्ष 2010-11 में 31,036 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, राज्यों को वर्ष 2010-11 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित अनुदानों के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए 3,675 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य

74. सभी जिलों की जिला स्वास्थ्य रूपरेखा तैयार करने हेतु एक वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010-11 में किया जाएगा। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों-विशेषकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अत्यधिक फायदा होना चाहिए। इस मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाओं की सुपुर्दगी में होने वाले अंतरालों को सफलतापूर्वक दूर किया है।

75. मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन को 19,534 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 में 22,300 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वित्तीय समावेशन

76. बैंकिंग सेवाओं के फायदे *'आम आदमी'* को पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ और परामर्श करके 2000 से अधिक की जनसंख्या वाली बस्तियों में मार्च 2012 तक समुचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। लक्षित लाभ-भोगियों को बीमा और अन्य सेवाएं प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। ये सेवाएं समुचित प्रौद्योगिक की सहायता से कारोबार सम्पर्की और अन्य मॉडलों का प्रयोग कर के प्रदान की जाएंगी। इस व्यवस्था से, 60,000 बस्तियों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि

77. वर्ष 2007-08 में, सरकार ने बैंकिंग सेवा-रहित क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक वित्तीय समावेशन निधि और एक वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना की थी। वित्तीय समावेशन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, मैं इनमें से प्रत्येक निधि के लिए 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव करता हूँ। ये भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा दी जाएंगी।

ग्रामीण विकास

78. महात्मा गांधी के शब्दों में, "*जिस प्रकार यह ब्रह्माण्ड स्वयं में विद्यमान है उसी प्रकार भारत गांवों में बसता है*"। स.प्र.ग. सरकार के लिए, ग्रामीण अवसंरचना का विकास एक उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। वर्ष 2010-11 के लिए मैं ग्रामीण विकास हेतु 66,100 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ।

79. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के चार वर्ष बीत चुके हैं। इस अवधि में यह सभी जिलों में कार्यान्वित की गयी है और इसके अंतर्गत 4.5 करोड़ से अधिक परिवारों को लाया गया है। नरेगा के लिए आवंटन वर्ष 2010-11 में बढ़ा कर 40,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारत निर्माण ने ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2010-11 में इन कार्यक्रमों के लिए, मैं 48,000 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

80. इंदिरा आवास योजना कमजोर वर्गों के लिए एक लोकप्रिय ग्रामीण आवास योजना है। भवन-निर्माण की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मैं इस योजना के तहत प्रति इकाई लागत बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों के लिए 45,000 रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 48,500 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2010-11 के लिए, इस योजना का आवंटन बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

81. देश के पिछड़े जिलों में अवसंरचना अंतराल दूर करने की कार्यनीति के भाग के रूप में, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि एक प्रभावी साधन साबित हुई है। वर्ष 2010-11 के लिए इस निधि में, मैं वर्ष 2009-10 के 5,800 करोड़ रुपए के आवंटन में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर, 7,300 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैंने बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे में कमी लाने हेतु 1,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की है।

शहरी विकास और आवास

82. शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु तैयार की गई "*स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना*" को, सामुदायिक भागीदारी, दक्षता विकास और स्वरोजगार सहायता ढाँचों पर ध्यान देकर, सुदृढ किया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए, मैं शहरी विकास हेतु पिछले वर्ष के 3,060 करोड़ रुपए के आवंटन में 75 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर, 5,400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए 850 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 2010-11 में 1,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

83. वर्ष 2009-10 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने 10 लाख रुपए तक के आवास ऋणों, जिसमें मकान की लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो, पर एक प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता देने की योजना घोषणा की थी। मैं इस योजना को 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। तद्नुसार, वर्ष 2010-11 में इस योजना के लिए मैं 700 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

84. विगत वर्ष मलिन बस्तियों के निवासियों और शहरी गरीबों के लिए *राजीव आवास योजना* की घोषणा उन राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी जो मलिन बस्तियों के निवासियों को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करने के इच्छुक हैं। अब यह योजना चलाए जाने के लिए तैयार है। मैं वर्ष 2010-11 के लिए, विगत वर्ष के 150 करोड़ रुपए की तुलना में 1,270 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार, इसमें 700 प्रतिशत की वृद्धि होती है। राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन में सरकार का प्रयास राज्यों को प्रोत्साहित करना होगा जिससे भारत को शीघ्रातिशीघ्र स्लम-मुक्त बनाया जा सके।

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम

85. देश के स.घ.उ. में सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान 8 प्रतिशत, विनिर्मित उत्पाद का 45 प्रतिशत और हमारे निर्यात का 40 प्रतिशत होता है। इनसे 2.6 करोड़ उद्यमों के

जरिए लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री ने ऐसे कई मुद्दों, जो इस क्षेत्र के विकास को प्रभावित करते हैं, को सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया। इस कार्यबल ने सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परिचर्चा की और कार्यसूची तैयार की। सूक्ष्म और लघु उद्यम संबंधी एक उच्च स्तरीय परिषद सिफारिशों और कार्यसूची के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेगी। वर्ष 2010-11 में इस क्षेत्र के लिए, मैं 1,794 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 2,400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

86. व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 22 दिसम्बर,2009 को 150 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण संबंधी करार पर हस्ताक्षर हुए। इस कार्यक्रम के तहत 300 चुनिंदा खादी संस्थाएं आएंगी।

सूक्ष्म वित्तीय व्यवस्था

87. स्व-सहायता समूहों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्म वित्तीय व्यवस्था के रूप में उभरा है। इसे वर्ष 2005-06 में 200 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ 'सूक्ष्म-वित्तपोषण विकास और इक्विटी निधि' के रूप में पुनः नामित किया गया था। वर्ष 2010-11 में इस निधि की आधारभूत निधि को दुगुना कर 400 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

असंगठित क्षेत्र

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि

88. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकताओं को देखते हुए, और असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक आवंटन के साथ एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यह निधि जुलाहों, ताड़ी बनाने वालों, रिक्शा चालकों, बीड़ी निर्माण में लगे कामगारों आदि हेतु बनायी गयी योजनाओं को सहायता प्रदान करेगी।

89. सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 1 अक्तूबर, 2007 को *राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना* शुरू की थी। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से लागू हुई और इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए, ऐसे सभी महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 15 से अधिक दिन तक कार्य किया है, को इसके फायदे प्रदान करने का प्रस्ताव है।

90. असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवानिवृत्त के लिए स्वेच्छापूर्वक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने और नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अभिदाताओं के लिए इस योजना की प्रचालन लागत कम करने के लिए, सरकार वर्ष 2010-11 में खोले गए प्रत्येक एनपीएस खाते में 1,000 रुपए प्रति वर्ष का अंशदान देगी। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एनपीएस में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए इस योजना "*स्वावलम्बन*" में 1,000 रुपए के न्यूनतम अंशदान और 12000 रुपए प्रति वर्ष का अधिकतम अंशदान उपलब्ध होगा। यह योजना अन्य तीन वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। तद्नुसार, वर्ष 2010-11 के लिए, मैं 100 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहा हूँ। इससे असंगठित क्षेत्र के 10 लाख एनपीएस अभिदाताओं को फायदा पहुंचेगा। इस योजना का प्रबंधन अंतिरम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

91. मैं राज्य सरकारों से भी यह अपील करता हूँ कि वे इस योजना में समान राशि का अंशदान करें और समाज के दुर्बल वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में भागीदार बनें।

दक्षता विकास

92. प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद् ने दक्षता विकास संबंधी कार्यनीतियों के संचालन के लिए मुख्य विनियामक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इस परिषद का मिशन वर्ष 2022 तक 50 करोड़ कुशल व्यक्ति तैयार करने का है। इनमें से राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम का लक्ष्य 15 करोड़ है, जिसने अक्तूबर, 2009 से अपना कार्य आरंभ किया है। इसने उच्च विकास वाले 21 क्षेत्रों का एक व्यापक दक्षता अंतराल अध्ययन पूरा किया है और एक लाख प्रति वर्ष की दर से 10 लाख कुशल जनशक्ति उत्पन्न करने के लिए 45 करोड़ रुपए की लागत वाली तीन परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। अन्य परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों पर विचार किया जा रहा है।

93. कपड़ा मंत्रालय की मौजूदा संस्थाओं और उपकरणों की क्षमता बढ़ाकर कपड़ा और परिधान क्षेत्र में व्यापक दक्षता विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र के संसाधनों का भी दोहन परिव्यय आधारित दृष्टिकोण के जरिए प्रशिक्षण को प्रोत्साहित कर किया जाएगा। इन उपकरणों के जरिए, कपड़ा मंत्रालय ने 5 वर्ष के दौरान 30 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

समाज कल्याण

94. मैं महिला और बाल विकास के लिए आयोजना परिव्यय में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव करता हूँ। 2009-10 में शुरू की गयी कई नयी पहल, अब कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिशन तैयार किया जा रहा है। किशोरियों के लिए राजीव गाँधी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आईसीडीएस के दायरे का विस्तार किया जा रहा है।

95. महिला साक्षरता दर में और सुधार लाने के लिए, सरकार ने पहले बनाए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को "*साक्षर भारत*" नामक नए कार्यक्रम के रूप में पुनः बनाया है। इसे 7 करोड़ निरक्षर वयस्कों के लक्ष्य के साथ सितम्बर, 2009 में आरंभ किया गया। इसमें 6 करोड़ महिलाएं हैं।

96. महिला कृषकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक *महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना* आरंभ की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपसंघटक के रूप में इस परियोजना के लिए, मैंने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

97. माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का आयोजना परिव्यय बढ़ाकर 4500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूँ। यह राशि, 2009-10 की तुलना में, 80 प्रतिशत अधिक होगी। अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और एल्कोहल के और नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के पीड़ितों को शामिल करते हुए, यह लक्षित जनसंख्या वर्गों के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की सहायता करेगी। इस बढ़ोतरी के साथ मंत्रालय, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीमों के तहत छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन कर सकेगा। यह बहुत समय से लम्बित रहा है।

98. इस आवंटन से बधिरों के फायदे के निमित भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी। दो संयुक्त क्षेत्रीय निःशक्त व्यक्ति केन्द्रों के साथ-साथ, जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, 50 अतिरिक्त जिलों में की जा रही है।

99. मैं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए भी वर्ष 2010-11 के आयोजना आवंटन को, 1,740 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,600 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि है। माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए, मुझे खुशी हो रही है कि हम, मौजूदा वर्ष में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत उधार देने का लक्ष्य हासिल करने के निकट हैं। इसे आगामी तीन वर्षों के लिए कायम रखा जाएगा।

पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेहिता का सुदृढ़ीकरण

100. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने देश में सरकारी संस्थाओं के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुसाध्य बनाने वाले माहौल के सृजन हेतु गंभीर प्रयास किया है। जैसाकि माननीय सदस्यों को पता है, इस संबंध में अनेक विधायी और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं।

वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग

101. वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने वाले हमारे अधिकांश विधान बहुत पुराने हैं। विभिन्न समय पर इन अधिनियमों में बड़ी संख्या में किए गए संशोधनों ने भी अस्पष्टता और जटिलता बढ़ाई है। सरकार इस सेक्टर को अपेक्षाओं की तर्ज पर लाने के लिए वित्तीय सेक्टर के कानूनों को दोबारा लिखने तथा स्पष्ट करने के लिए वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव करती है।

प्रशासनिक सुधार आयोग

102. प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन, यूपीए सरकार द्वारा अपने पहले कार्यकाल में किया गया था। इसने 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिनमें से, 10 रिपोर्टों की जांच सरकार द्वारा की गई है। अब तक कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात 800 सिफारिशों में से, 350 सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जा चुका है तथा 450 कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण

103. मैंने, अपने पिछले बजट भाषण में, भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण का गठन करने, इसके व्यापक कार्यकरण सिद्धांतों और पहली अनन्य पहचान संख्याओं के प्रदाय समय-सीमा की घोषणा की थी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि यह प्राधिकरण गठित कर लिया गया है। यह आगामी वर्ष में अनन्य पहचान संख्याओं का पहला सैट जारी करने की अपनी वचनबद्धताएं पूरी करने में समर्थ होगा। यह वित्तीय समावेशन और लक्षित सब्सिडी भुगतानों के लिए प्रभावी मंच प्रदान करेगा। चूंकि भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण अब प्रचालनात्मक चरण में प्रवेश कर जाएगा, मैं 2010-11 के लिए इस प्राधिकरण को 1,900 करोड़ रुपए आवंटित करता हूँ।

अनन्य परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह

104. प्रभावी कर प्रशासन और वित्तीय अभिशासन प्रणाली के लिए ऐसी आईटी परियोजनाओं के सृजन की आवश्यकता है, जो विश्वसनीय, सुरक्षित और सक्षम हों। आईटी परियोजनाएं जैसे कर सूचना नेटवर्क, नई पेंशन योजना, राष्ट्रीय राजकोष प्रबंधन एजेंसी, व्यय सूचना नेटवर्क, वस्तु एवं सेवा कर विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। विभिन्न प्रौद्योगिकीय और प्रणाली विषयक मामलों की

जांच करने के लिए, मैं श्री नंदन निलेकानी की अध्यक्षता में एक अनन्य परियोजना प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय

105. सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का निष्पक्ष और विषयपरक मूल्यांकन करने के लिए और सरकारी कार्यक्रमों की कारगरता बढ़ाने हेतु एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। यह निर्णय लिया गया है कि यह उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में अभिशासी बोर्ड के अधीन एक स्वतंत्र निकाय होगा। यह स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय अग्रगामी फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा और अपने निष्कर्षों को लोक क्षेत्र में रखेगा। इसके लिए निधियां योजना आयोग द्वारा दी जाएंगी।

भारतीय रुपए के लिए प्रतीक

106. आगामी वर्ष में, हम भारतीय रुपए के लिए एक प्रतीक को औपचारिक रूप देना चाहते हैं जो भारतीय लोकाचारों और संस्कृति को प्रतिबिम्बित और समाहित करे। इसके साथ भारतीय रुपया भी अमरीकी डालर, ब्रिटिश पौण्ड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन, जैसे चुनिंदा मुद्रा क्लब में सम्मिलित हो जाएगा। इन देशों की स्पष्ट विशिष्ट पहचान है।

सुरक्षा और न्याय

107. सुरक्षित सीमाएं तथा जान-माल की सुरक्षा विकास को प्रोत्साहित करती है। मैं रक्षा के लिए आवंटन बढ़ाकर 1,47,344 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें पूंजी व्यय के लिए 60,000 करोड़ रुपए शामिल होगा। यह कहने की आवश्कता नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किसी भी अतिरिक्त आवश्कता के लिए व्यवस्था की जाएगी।

108. वर्ष 2009-10 में, देश में समग्र आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति मोटे तौर पर नियंत्रण में रही। देश के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बहुत से नए उपाए किए गए। इनमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी को कार्यशील बनाना, चार एनएसजी केन्द्रों की स्थापना, आसूचना ब्यूरो और इसके बहु-विषयक एजेंसी केन्द्र का विस्तार शामिल हैं।

109. वर्ष 2009 में, जम्मू-कश्मीर में हिंसा में कमी आयी। हमने अनेक विश्वास निर्माण संबंधी उपाय किए हैं। एक और ऐसे उपाय के रूप में, सरकार वर्ष 2010 में, पांच केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में लगभग 2,000 युवाओं को कांस्टेबल नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है।

110. तैंतीस लेफ्ट विंग अतिवाद प्रभावित जिलों की विकास संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए, विकास और सुरक्षा उपायों के बीच समन्वित प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य बल गठित किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि योजना आयोग प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकीकृत कार्य योजना तैयार करेगा। इस कार्य योजना की सहायता करने के लिए पर्याप्त निधियां मुहैया करायी जाएंगी। मैं, गुमराह हुए लोगों से हिंसा छोड़ने और विकास प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह करता हूँ।

राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधिक सुधार मिशन

111. सभी को समय पर न्याय दिलाने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधिक सुधार मिशन की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य न्यायालयों में वर्तमान में 15 वर्ष के औसत से लंबित विधिक मामले 2012 तक 3 वर्ष में कम करके सहायता करना

है। यह व्यापार के लिए विधिक माहौल सुधारने में भी सहायता करेगा। तेरहवें वित्त आयोग ने न्याय प्रदाय सुधारने के लिए राज्यों को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, जिसमें वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रम का सुदृढ़ीकरण भी शामिल है।

बजट अनुमान 2010-11

अब मैं 2010-11 के बजट अनुमानों की ओर आता हूँ।

112. सकल कर प्राप्तियों के 7,46,651 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के 1,48,118 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2010-11 में केन्द्र को निवल कर राजस्व और व्यय व्यवस्थाएं तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संबंध में अनुमानित की गई हैं।

113. 2010-11 के बजट अनुमानों में कुल 11,08,749 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। यह ब.अ. 2009-10 में कुल व्यय की तुलना में 8.6 प्रतिशत अधिक है। ब.अ. 2010-11 में आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय क्रमशः 3,73,092 करोड़ रुपए और 7,35,657 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यद्यपि आयोजना व्यय में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आयोजना-भिन्न व्यय में, पिछले वर्ष के ब.अ. की तुलना में केवल 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयोजना व्यय के इस स्तर के साथ, मुझे विश्वास है कि कुल आयोजना व्यय, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित व्यय के 100 प्रतिशत के बहुत निकट होगा।

114. माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि राजकोषीय नीति को राजकोषीय विवेक के लिए अपेक्षित संरचना द्वारा मार्गदर्शित होना है। बजट 2009-10 के साथ, प्रस्तुत किए गए मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में, मैंने राजकोषीय घाटे की रूपरेखा निर्धारित की थी। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि अपनी वचनबद्धता के मद्देनजर, मैं 5.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के साथ 2010-11 का बजट प्रस्तुत करने में समर्थ रहा हूँ। आज, अन्य बजट दस्तावेजों के साथ सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में, शीघ्रातिशीघ्र 2011-12 और 2012-13 के लिए राजकोषीय घाटा के निमित्त चालू लक्ष्य क्रमशः 4.8 प्रतिशत तथा 4.1 प्रतिशत रखे गए हैं। इन अनुमानों में तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से सुधार आएगा।

115. वर्ष 2009-10 का बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर के बारे में अपनी चिन्ता जतायी थी। मैने यह भी कहा था कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापस आने के लिए गंभीरता के साथ इस मुद्दे का समाधान करेगी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 2008-09 में 7.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की तुलना में, 2009-10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार तेल और उर्वरक बांडों सहित तुलनीय राजकोषीय घाटा 6.9 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटे के ये दोनों आंकड़े संशोधित स.घ.उ. संख्याओं पर आधारित है, जिनका प्रकाशन केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया गया है और इसमें पहले उल्लिखित इसी तरह की मदों को शामिल किया गया है। यह, मौजूदा वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में लगभग एक प्रतिशत का सुधार दर्शाता है। मैंने तेल और उर्वरक कंपनियों को बांड जारी करने से बचाने के लिए विवेकपूर्ण सचेत प्रयास किए हैं। मैं नकदी के रूप में सरकारी आर्थिक सहायता देने की परिपाटी को जारी रखना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आर्थिक सहायता संबंधी देयताओं को हमारे राजकोषीय लेखाकरण में शामिल किया जा सका है।

116. वर्ष 2010-11 में स.घ.उ. का 5.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटा 3,81,408 करोड़ रुपए परिकलित होता है। राजकोषीय घाटे के लिए विभिन्न अन्य वित्तपोषण मदों के मद्देनजर, 2010-11 में सरकार का वास्तविक निवल बाजार उधार 3,45,010 करोड़ करोड़ रुपए होगा। निजी क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की पर्याप्त संभावना होगी। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, उधार कार्यक्रम की आयोजना बनाएगी।

भाग - ख

अध्यक्ष महोदया,

अब मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

117. उनको तैयार करते समय, मैंने सुदृढ़ कर प्रशासन के सिद्धान्तों से मार्गदर्शन लिया है जैसाकि कौटिल्य के निम्नलिखित शब्दों में अंतर्निहित है:

> *"इस प्रकार, एक बुद्धिमान महा समाहर्ता राजस्व संग्रहण का कार्य इस प्रकार करेगा कि उत्पादन और उपभोग अनिष्ट रूप से प्रभावित न हों.....लोक सम्पन्नता, प्रचुर कृषि उत्पादकता और अन्य बातों के साथ वाणिज्यिक समृद्धि पर वित्तीय सम्पन्नता निर्भर करती है।"*

118. मैंने पिछले वर्ष कहा था कि कर सुधार एक प्रक्रिया है न कि एक घटना। मैंने प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में जिस प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की थी वह परिचर्चा पत्र के साथ प्रत्यक्ष कर संहिता का मसौदा जारी करना थी। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सुधार की पहल के रूप में वस्तु एवं सेवा कर शुरू किया जाना था। मैंने अपने भाषण के भाग 'क' में, दोनों सुधार पहलों में घटनाक्रमों को प्रस्तुत किया है।

119. हमने, प्रत्यक्ष करों के प्रशासन में सेवा प्रदाय के प्रमुख क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण के मार्ग पर चलना जारी रखा है। यह करदाता और कर प्रशासन के बीच वास्तविक अन्तरामुख कम करेगा और कार्यप्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अपेक्षित परिवर्तन करने में तेजी लाएगा। बेंगलूरू में केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र अब पूरी तरह कार्यशील है और यह प्रतिदिन लगभग 20,000 विवरणियों पर कार्रवाई कर रहा है। इस अभिक्रम को वर्ष के दौरान और दो केन्द्रों की स्थापना करके आगे बढ़ाया जाएगा।

120. नागरिक केन्द्रित अभिशासन की ओर अग्रसर होने के लिए सरकार के कार्यक्रम के भाग के रूप में आय कर विभाग ने पुणे, कोची और चंडीगढ़ में आय कर सेवा केन्द्रों के माध्यम से "*सेवोत्तम*" की शुरूआत की है। यह सभी आवेदनों के पंजीकरण के लिए एकल विन्डो प्रणाली प्रदान करते हैं, जिसमें शिकायत निवारण तथा कागजी विवरणियां भी शामिल हैं। इस वर्ष यह योजना चार और शहरों में कार्यान्वित की जाएगी।

121. अप्रैल 2011 तक वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का उद्देश्य हासिल करने के लिए, केन्द्र और राज्यों में अप्रत्यक्ष कर प्रशासनों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित अपनी आंतरिक कार्य प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि परियोजना एसीईसी - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचलन इस वर्ष, देशभर में, पहले से ही प्रचलित हो गया है। इससे कर प्रशासन में अधिक पारदर्शिता आएगी और करदाता सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार होगा। इसी प्रकार, राज्यों में वाणिज्यिक करों के कम्प्यूटरीकरण के लिए हाल ही में एक मिशन मोड परियोजना अनुमोदित की गई है। 1133 करोड़ रुपये के परिव्यय में केंद्र का हिस्सा 800 करोड़ रुपये है, जिससे इस परियोजना से वस्तु एवं सेवा कर शुरू करने की आधारशिला रखी जाएगी।

122. मैंने पिछले वर्ष उल्लेख किया था कि आयकर विवरणी प्रपत्र सरल और प्रयोक्ता अनुकूल होने चाहिए। आयकर विभाग आगामी निर्धारण वर्ष के लिए व्यष्टि वेतनभोगी करदाताओं के लिए सरल-II प्रपत्र अधिसूचित करने के लिए अब तैयार है। इस प्रपत्र से व्यष्टि एक सरल प्रपत्र में केवल दो पृष्ठों में संगत ब्यौरा भर पाएंगे।

123. करदाताओं के साथ विवादों के शीघ्र निपटान के लिए मैं उन मामलों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं जिन्हें समझौता आयोग द्वारा स्वीकार किया जा सकता है ताकि निर्धारण के लिए लम्बित तलाशी और जब्ती के मामलों से संबंधित कार्यवाहियां शामिल की जा सकें। मैं केंद्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा शुल्क के संबंध में समझौता आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि उसके क्षेत्राधिकार की परिधि के बाहर के कतिपय प्रकार के मामले स्वीकार किए जा सकें।

124. पिछले वर्ष कानून में किए गए संशोधनों से सरकार सार्वभौम राष्ट्रों के अलावा विशिष्ट राज्य क्षेत्रों के साथ कर संधियां करने में समर्थ हुई। हमने बैंक से संबंधित और अन्य सूचना का आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता शुरू की है ताकि विदेश में रहने वाले अनिवासियों की करवंचना का कारगर तरीके से पता लगाया जा सके और अप्रकटित आस्तियों की पहचान की जा सके।

प्रत्यक्ष कर

मैं, अब प्रत्यक्ष करों पर आता हूं।

125. मैंने पिछले वर्ष सभी करदाताओं की छूट सीमा बढ़ाकर और व्यक्तिगत आयकर पर अधिभार हटाकर व्यष्टि करदाताओं को राहत दी थी। करदाताओं ने उचित कर देकर इन रियायतों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दी हैं। वर्तमान कर स्लैबों को व्यापक करके और राहत देने के लिए, मैं इन कर-स्लेबों का इस प्रकार प्रस्ताव करता हूंः

1.6 लाख रुपये तक आय	शून्य
1.6 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक आय	10 प्रतिशत
5 लाख रुपये से अधिक और 8 लाख रुपये तक आय	20 प्रतिशत
8 लाख रुपये से अधिक आय	30 प्रतिशत

126. कर स्लैबों के इस प्रस्तावित विस्तार से बहुत बड़ी संख्या में करदाताओं को काफी राहत मिलेगी।

127. बचत को बढ़ावा देने के साथ-साथ अवसंरचना के महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए उनका उपयोग सुनिश्चित करने हेतु, मैं केंद्र सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित दीर्घावधिक अवसंरचना बांडों में निवेश करने के लिए 20,000 रुपये की अतिरिक्त राशि की कटौती करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। यह, कर बचतों पर 1 लाख रुपये की मौजूदा सीमा के अतिरिक्त होगी। मुझे विश्वास है कि इन राहतों से उपभोग के साथ-साथ बचत के लिए व्यष्टि करदाताओं के पास अधिक धन होगा।

128. स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जिनके लिए इस समय आयकर अधिनियम के अंतर्गत कटौती की अनुमति है, में अंशदान करने के अतिरिक्त, मैं इसी प्रावधान के तहत केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अंशदान करने के लिए भी कटौती के रूप में अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

129. अधिभार को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की अपनी पहल आगे बढ़ाते हुए, मैं घरेलू कंपनियों पर लगने वाले 10 प्रतिशत का मौजूदा अधिभार घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। साथ ही, मैं न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की दर में बढ़ोतरी करके इसे बही लाभों की

15 प्रतिशत की वर्तमान दर से 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे कारपोरेट करदाताओं के बीच आपस में समानता का संवर्धन होगा।

130. राष्ट्रपति ने जून 2009 में संसद को संबोधित अपने अभिभाषण में इस दशक को 'नवोन्मेष दशक' के रूप में घोषित किया था। पिछले वर्ष, मैंने एक छोटी नकारात्मक सूची छोड़कर, सभी विनिर्माण व्यवसायों के लिए आंतरिक अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी) पर उपगत व्यय पर दी जाने वाली भारित कटौती का कार्यक्षेत्र बढ़ाया था। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, मैं अब आंतरिक अनुसंधान और विकास पर उपगत व्यय पर भारित कटौती बढ़ाकर 150 प्रतिशत से 200 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संघों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को किए गए भुगतानों पर भारित कटौती बढ़ाकर 125 प्रतिशत से 175 प्रतिशत किए जाने का भी प्रस्ताव करता हूं।

131. इस समय, किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ को किया गया कोई भी भुगतान भारित कटौती के लिए पात्र है। अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ की आय आयकर से मुक्त है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि समाज विज्ञानों में अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान में लगे अनुमोदित संघों को किए गए भुगतानों को 125 प्रतिशत की भारित कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसे अनुमोदित अनुसंधान संघों की आय कर मुक्त होगी।

132. मैंने पिछले वर्ष के अपने बजट भाषण में कहा था कि लाभ आधारित कटौतियां अपने आप में सक्षम नहीं हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में करोबार को प्रोत्साहित करने के लिए, मैंने लाभ आधारित कटौती के विकल्प के रूप में निवेश आधारित कटौती की शुरूआत की है। पर्यटन क्षेत्र, जिसमें अधिक रोजगार की संभावना है, में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, मैं भारत में दो स्टार अथवा उससे अधिक के श्रेणी वाले नए होटलों को इस अधिनियम के तहत निवेश आधारित कटौती का फायदा देने का प्रस्ताव करता हूं।

133. वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित आवास और स्थावर संपदा क्षेत्र को एक बारगी अंतरिम राहत देने के लिए, मैं उनके लाभों पर कटौती का दावा करने के लिए लम्बित परियोजनाएं चार वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की अवधि में पूरी करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं आवासीय परियोजनाओं में दुकानों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के निर्मित क्षेत्र के मापदंडों में ढील देने का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि उनके निवासियों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।

134. 40 लाख रुपये से अधिक का कारोबार वाले सभी व्यवसायों से इस समय अपने खातों की लेखा-परीक्षा करवा लिया जाना अपेक्षित होता है। इसी तरह का प्रावधान उन सभी व्यवसायों पर भी लागू होता है जिनकी प्राप्तियां 10 लाख रुपये से अधिक होती हैं। मैंने वित्त मंत्री के रूप में 1984 के अपने बजट में ये सीमाएं निर्धारित की थीं। यह छोटे करदाताओं पर पड़ने वाला अनुपालन भार कम करने का समय है। इसलिए, मैं ये सीमाएं व्यापार के मामले में 60 लाख रुपये और व्यवसाय के मामले में 15 लाख रुपये तक बढ़ाने करने का प्रस्ताव करता हूं।

135. छोटे करदाताओं के कारोबार प्रचालन को सुसाध्य बनाने के लिए, मैंने 40 लाख रुपये तक कारोबार वाले सभी छोटे व्यवसायों के लिए अनुमानित कराधान का कार्यक्षेत्र विस्तृत किया था। छोटे करदाताओं पर पड़ने वाले अनुपालन भार को और कम करने के लिए, मैं अब यह सीमा 60 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

136. भुगतानों की प्रारंभिक सीमाएं जिनके नीचे स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाती है, लम्बे समय से अपरिवर्तित बनी हुई हैं। मैं ये प्रारंभिक सीमाएं युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं।

137. व्यय की अनुमति न देने के मौजूदा प्रावधान शिथिल करते हुए, मैं ऐसे व्यय की कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं, यदि वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय कर की कटौती की गई है और वह विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से पहले अदा कर दिया गया है। इससे, अधिकांश कटौती करवाने वालों को अगले वित्त वर्ष के सितंबर तक अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके साथ-साथ, मैं काटे गए लेकिन विनिर्दिष्ट तिथि तक जमा न किए गए कर पर भारित ब्याज बढ़ाकर इसे 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

138. पिछले वर्ष, मैंने सामान्य भागीदार फर्मों के लिए लागू विद्यमान मापदंडों के अनुसार, नई शुरू की गई सीमित देनदारी भागीदारी (एलएलपी) के कराधान के लिए व्यवस्था की थी। छोटी कंपनियों को एलएलपी में रूपांतरण आसान बनाने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह, पूंजीगत लाभ कर के अध्यधीन नहीं होगा।

139. इस अधिनियम के मौजूदा उपबंधों के तहत, "आम जन सुविधा की किसी अन्य वस्तु की प्रस्तुति" "धर्मार्थ प्रयोजन" के रूप में नहीं मानी जा सकती, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार स्वरूप में कोई कार्यकलाप किया जाता है। मुझे कई संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इस प्रतिबंध में कुछ ढील देने की मांग की गई थी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, यदि ऐसे कार्यकलापों से हुई आय एक वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

140. प्रत्यक्ष कर संबंधी मेरे प्रस्तावों से इस वर्ष 26,000 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने का अनुमान है।

अप्रत्यक्ष कर

141. अप्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव तैयार करने में जिन्होंने मेरा पथ प्रदर्शन किया, वे प्रमुख उद्देश्य आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाए बिना, और जीएसटी के पथ पर अग्रसर होते हुए कुछ सीमा तक राजकोषीय समेकन हासिल करने के लिए जरूरी हैं।

142. मेरे प्रस्तुत किए गए पिछले बजट के समय के विपरीत, अर्थव्यवस्था के सुधार के संकेत अब अधिक व्यापक और स्पष्ट हैं। सरकार द्वारा दिए गए लगातार तीन राजकोषीय प्रोत्साहन पैकजों से सुधार की प्रक्रिया को काफी मदद मिली है। हमारे आर्थिक निष्पादन में हुई बेहतरी तब भी राजकोषीय सुधार को प्रोत्साहित करती है, जब वैश्विक स्थिति सावधानी बरतने की मांग करती है। इसलिए, मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्कों में कटौती दर आंशिक रूप से वापस लेने तथा सभी गैर-पेट्रोलियम उत्पादों पर मानक दर बढ़ाकर *यथामूल्य* 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। पोर्टलैंड सीमेंट तथा क्लिंकर सीमेंट पर प्रयोज्य शुल्क की विशिष्ट दरें भी आनुपातिक रूप से समायोजित की जा रही हैं और अधिक रखी जा रही हैं। इसी तरह, बड़ी कारों, बहु उपयोगी वाहनों तथा खेल में प्रयुक्त वाहनों पर उत्पाद शुल्क का *यथामूल्य* घटक, जो प्रथम प्रोत्साहन पैकेज के भाग के रूप में घटाया गया था, में 2 प्रतिशतांक की बढ़ोतरी करके 22 प्रतिशत किया जा रहा है।

143. पेट्रोलियम की कीमतों में होने वाली अनियमित घट-बढ़ के चलते, सरकार ने जून, 2008 में कच्चे पेट्रोलियम को बुनियादी सीमा शुल्कों से पूरी छूट दी और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों पर बुनियादी शुल्क में आनुपातिक कटौती की थी। उस समय की 112 अमरीकी डालर प्रति बैरल के भारतीय कच्चे तेल समूह की अंतरराष्ट्रीय कीमत की तुलना में कीमतें इस

समय बहुत कम हैं। राजकोषीय समेकन के पथ पर फिर से अग्रसर होने की जबर्दस्त जरूरत को देखते हुए, मैं कच्चे पेट्रोलियम पर 5 प्रतिशत; डीजल और पेट्रोल पर 7.5 प्रतिशत तथा अन्य परिष्कृत उत्पादों पर 10 प्रतिशत के बुनियादी शुल्क को बहाल करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर 1-1 रुपये की बढ़ोतरी करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

144. चूंकि मैंने कई वर्ष पहले धूम्रपान करना छोड़ दिया था, इसलिए मैं अन्य लोगों को भी इसे छोड़ने की सलाह देना चाहूंगा क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस संबंध में, मैं दरों में कुछ बढ़ोतरी के साथ सिगरेट, सिगार और सिगारिलों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन कर रहा हूं। मैं सुगंधित तंबाकू, नसवार, चबाने वाला तंबाकू आदि जैसे सभी गैर-धूम्रपान तंबाकू पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव भी करता हूं। इसके अतिरिक्त, मैं चबाने वाले तंबाकू और ब्रांडेड अनिर्मित तंबाकू के लिए पाऊच पैकिंग मशीनों की क्षमता पर आधारित एक यौगिक लेवी योजना आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूं।

145. मैं अब निरंतर वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ बहुत जरूरी प्रोत्साहनों पर आता हूं।

कृषि और संबंधित क्षेत्र

146. मेरे भाषण में कृषि के विकास के लिए पहले रेखांकित की गई कार्यनीति के समर्थन में, मैं उन कुछ प्रमुख क्षेत्रों का समाधान करने का प्रस्ताव करता हूं जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाना जरूरी है। ये हैं:

(i) नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाना ताकि वे उपभोग और प्रसंस्करण केंद्रों में शीघ्र पहुंचाए जा सकें;

(ii) ऐसे उत्पादों को मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए अवसंरचना और प्रौद्योगिकी; और

(iii) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल।

147. मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेयरी, मुर्गीपालन, मांस, समुद्री मत्स्यपालन और जलीय जीव पालन जैसे संबंधित क्षेत्रों पर इसी तरह ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

148. इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव करता हूं:

- खाद्यान्नों और चीनी के लिए "मंडियों" अथवा भंडागारण में यंत्रीकृत प्रबंध प्रणाली और पैलेट रैकिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए 5 प्रतिशत के रियायती आयात शुल्क के साथ परियोजना आयात का दर्जा देना और इसके साथ-साथ, ऐसे उपस्करों की स्थापना और उन्हें चालू करने हेतु सेवा कर से पूरी तरह छूट देना।

- निम्नलिखित की आरंभिक स्थापना और विस्तार के लिए सेवा कर से पूरी छूट के साथ 5 प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क पर परियोजना आयात का दर्जा देना;

  » शीत भंडारण, शीत कक्ष जिसमें परिरक्षण अथवा कृषि और संबंधित क्षेत्र के उत्पाद के भंडारण हेतु खेत स्तर पर पूर्व-कूलर शामिल हैं, और

  » ऐसे उत्पाद के लिए प्रसंस्करण यूनिटें।

- प्रशीतित वैनों अथवा ट्रकों के विनिर्माण हेतु आवश्यक प्रशीतन यूनिटों को सीमा-शुल्क से पूर्ण छूट।

149. मैं निम्नलिखित की व्यवस्था प्रदान करने का प्रस्ताव भी करता हूंः

- भारत में निर्मित न होने वाली निर्दिष्ट कृषि मशीनरी पर 5 प्रतिशत का रियायती सीमा-शुल्क;
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के परिरक्षण, भंडारण और प्रसंस्करण हेतु निर्दिष्ट उपस्करों को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट और उनके उत्पादों के भंडारण और भांडागारण पर सेवा कर से छूट; और
- कृषि में प्रयोग होने वाले ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट।

150. वर्ष 2003 में बागान क्षेत्र में प्रयोग के लिए निर्दिष्ट मशीनरी पर रियायती आयात शुल्क लगाया गया था। यह छूट जुलाई 2010 में समाप्त हो जाएगी। इस श्रम-प्रधान क्षेत्र का आधुनिकीकरण अभी प्रत्याशित स्तर पर पहुंचना है। इसलिए मैं सीवीडी छूट सहित इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2011 तक करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि इससे इस क्षेत्र को वांछित उद्देश्य प्राप्त करने में पर्याप्त समय मिल जाएगा।

151. कृषि उत्पादकता के लिए पूर्वापेक्षाओं में से एक पूर्वापेक्षा अच्छी गुणवत्ता वाले और रोग-रोधी बीजों तक पहुंच है। मैं कृषि बीजों के परीक्षण और प्रमाणन को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

152. मैं, सड़क मार्ग से की जाने वाली अनाजों और दालों की ढुलाई को सेवा कर से छूट का भी प्रस्ताव करता हूं। रेलवे द्वारा की जाने वाली इनकी ढुलाई को छूट मिलती रहेगी।

153. मैं, आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित लघु उद्योग क्षेत्र के विनिर्माताओं के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति सहज बनाने हेतु केंद्रीय उत्पाद-शुल्क कानून के अंतर्गत दो उपायों का प्रस्ताव करता हूं। पहला, उन्हें पूंजीगत सामान पर उनकी प्राप्ति के वर्ष में एक किस्त में अदा किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क का पूरा ऋण लेने की अनुमति होगी। दूसरा, उन्हें मासिक के बजाए, त्रैमासिक आधार पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क चुकाने की अनुमति होगी। इन उपायों के 1 अप्रैल 2010 से लागू हो जाने पर उन्हें काफी राहत मिलनी चाहिए।

पर्यावरण

154. जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को काम में लेने को, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अब एक विश्वसनीय कार्ययोजना के रूप में मान्यता मिली है। घोषित राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष की निधियों के निर्माण हेतु, मैं भारत में उत्पादित कोयले पर 50 रुपये प्रति टन की सामान्य दर पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। यह उपकर आयातित कोयले पर भी लागू होगा।

155. राष्ट्रीय सौर मिशन क्रियान्वित करने के सरकार के संकल्प के अनुपालन में; मैं फोटोवोल्टिक और सौर ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों की आरंभिक स्थापना हेतु अपेक्षित मशीनरी, उपस्कर, उपकरण और यंत्रों आदि पर 5 प्रतिशत का रियायती सीमा-शुल्क प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह,

भू-तापीय ऊर्जा का दोहन करने में प्रयोग होने वाले भूतल स्रोत ताप पंप बुनियादी सीमा-शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क से मुक्त होंगे।

156. पवन ऊर्जा ने हाल के वर्षों में देश में आशाजनक वृद्धि दर्शायी है। अतिरिक्त राहत के उपाय के रूप में; मैं पवन ऊर्जा जनरेटरों के लिए रोटर ब्लेडों के विनिर्माण हेतु अपेक्षित कुछ और निर्दिष्ट निविष्टियों को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूं।

157. लेड लाइटें गलियों, घरों और कार्यालयों के लिए रोशनी के अत्यंत ऊर्जा किफायती स्रोत के रूप में श्रीगणेश कर रही हैं। इन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर कंपैक्ट फ्लारेसेंट लैंपों के समतुल्य 4 प्रतिशत किया जा रहा है।

158. बिजली की कारों और वाहनों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट दी गई थी। ये पेट्रोल अथवा डीजल वाहनों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकल्प पेश करते हैं। ऐसे वाहनों के विनिर्माताओं ने उनकी निविष्टियों और हिस्सों पर अदा किए गए शुल्क को निष्प्रभावित करने में कठिनाई व्यक्त की है। मैं ऐसे वाहनों पर 4 प्रतिशत का सामान्य उत्पाद शुल्क लगाकर इसका समाधान करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं ऐसे वाहनों के कुछ महत्वपूर्ण पुरजों अथवा लघु पुरजे जोड़ने को वास्तविक प्रयोक्ता स्थिति के अध्यधीन बुनियादी सीमा-शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूं। इन पुर्जों को 4 प्रतिशत का रियायती सीवीडी भी मिलता रहेगा।

159. साधारण साइकिल रिक्शा का अब परिवहन के पर्यावरण-अनुकूल साधन के रूप में स्वागत किया जा रहा है। सीएसआईआर ने मानव चालित रिक्शाओं के स्थान पर, "सोलेक्शा" नामक एक नया उत्पाद विकसित किया है। यह बैटरियों से चलता है जो सौर ऊर्जा से चार्ज होता है। मैं इस उत्पाद को 4 प्रतिशत का रियायती उत्पाद-शुल्क प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके महत्वपूर्ण पुर्जों और हिस्सों को भी सीमा-शुल्क से छूट दी जा रही है।

160. बायो-डिग्रेडेबल सामग्रियों का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए, मैं कम्पोस्ट योग्य पालीमर के आयात को बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूं।

आधारभूत संरचना

161. सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करना जीवाश्म ईधनों पर निर्भरता कम करने का एक अन्य साधन है। मैं "शहरी परिवहन हेतु मोनोरेल परियोजनाओं" को 5 प्रतिशत के रियायती उत्पाद-शुल्क पर परियोजना आयात दर्जा देने का प्रस्ताव करता हूं।

162. सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट मशीनरी को इस शर्त पर आयात-शुल्क से पूर्ण छूट उपलब्ध है कि यह मशीनरी न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि में बेची या निपटायी नहीं जाएगी। ऐसे अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए कि इससे मशीनरी बेकार हो जाती है, मैं ह्रासित मूल्य पर आयात-शुल्क अदा करने पर ऐसी मशीन को पुनः बेचने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि आयातक ऐसी मशीनरी को अन्य पात्र सड़क निर्माण परियोजनाओं में लगाने के लिए स्वतंत्र है।

163. 14 मिलियन प्रतिमाह के हिसाब से अभिदाता आधार बढ़ने के चलते, भारत विश्व में मोबाइल फोन कनेक्शनों के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में एक है। मोबाइल फोनों का घरेलू उत्पादन, उनके पुरजों, हिस्सों और अनुषंगियों के लिए बुनियादी, सावीडी और विशेष अतिरिक्त शुल्कों से प्रदान की गयी छूटों को देखते हुए, अब जोर पकड़ रहा है। अनुषंगियों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, ये छूटें अब बैटरी चार्जरों और हैंड-फ्री हैडफोनों के

पुरजों को भी दी जा रही हैं। विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट की वैधता को भी 31 मार्च 2011 तक बढ़ाया जा रहा है।

चिकित्सा क्षेत्र

164. चिकित्सा उपस्कर, उपकरण और यंत्र बहुत जटिल आयात शुल्क प्रणाली के अध्यधीन आते हैं। ये अनेक लंबी सूचियों पर आधारित होते हैं और इनमें अलग-अलग मदों का विवरण दिया होता है। विवरणों के साथ बहुल दरें टैरिफ लाईनों के अनुरूप न होने के कारण विवाद होते हैं ओर कई बार अत्याधुनिक उपस्कर छूट का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। मैं सभी चिकित्सा उपस्करों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट सहित एक समान 5 प्रतिशत रियायती बुनियादी शुल्क और 4 प्रतिशत का सीवीडी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसे उपस्करों, जबकि वे सीवीडी और विशेष अतिरिक्त शुल्क से मुक्त होंगे, के विनिर्माण हेतु हिस्सों और यंत्रों पर 5 प्रतिशत का रियायती बुनियादी शुल्क निर्धारित किया जा रहा है जबकि वे सीवीडी और विशेष अतिरिक्त शुल्क से मुक्त होंगे। चिकित्सा उपस्करों और सहायक मशीनों, पुनर्वास सहायता यंत्रों आदि जैसी मशीनों को इस समय उपलब्ध पूर्ण छूट जारी रखी जा रही है। सरकारी अस्पतालों अथवा किसी कानून के अधीन स्थापित अस्पतालों को उपलब्ध रियायत भी कायम रखी जा रही है।

165. अस्थि विकलांग संबंधी यंत्र विनिमार्ताओं ने अभ्यावेदन दिया है कि उनके यंत्रों पर तैयार उत्पाद की तुलना में शुल्क की उच्च दर लगती है। मैं ऐसे यंत्रों के विनिर्माण हेतु निर्दिष्ट निविष्टियों को आयात शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूं।

सूचना एवं मनोरंजन

166. भारत एक सिनेमा प्रेमी राष्ट्र है। द्विरावृत्ति हेतु फिल्मों के डिजीटल मास्टर के आयात करने अथवा चलचित्रकला फिल्म पर आयातित की तुलना में इलैक्ट्रानिक माध्यम पर भारित वितरण में विभेदक सीमा शुल्क संरचना के कारण फिल्म उद्योग मुश्किलों का सामना करता रहा है। मैं वाहक माध्यम के मूल्य पर ही सीमा-शुल्क प्रभारित करते हुए इसे युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। यही विधान द्विरावृत्ति के लिए आयातित संगीत और गेमिंग साफ्टवेयर पर लागू होगा। भारतीय सिनेमा की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, मैं इसका विस्मयकारी पटाक्षेप कर रहा हूं। ऐसे सभी मामलों में, बौद्धिक अधिकारों का अंतरण प्रस्तुत करने वाला मूल्य सेवा कर के अध्यधीन होगा।

167. डिजीटल प्रौद्योगिकी अपनाए जाने से सूचना एवं मनोरंजन का केबल पारेषण परिवर्तन के दौर में है। बहु-विषयी सेवा प्रदाताओं को "डिजीटल हैड एंड" उपस्कर में निवेश करने की जरुरत है। ऐसा करने के लिए, मैं ऐसी परियोजनाओं की आरंभिक स्थापना हेतु विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट के साथ 5 प्रतिशत के रियायती सीमा-शुल्क पर परियोजना आयात दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

कीमती धातुएं

168. कीमती धातुओं की कीमतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। चूंकि इन पर विशिष्ट दरों पर सीमा-शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है, मैं इन दरों को निम्नानुसार सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव करता हूं:

- सोने और प्लैटिनम पर 200 रुपये प्रति 10 ग्राम से 300 रुपये प्रति 10 ग्राम;
- चांदी पर 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम से 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम।

169. रत्न और जवाहरात हमारे निर्यात समूह में एक परंपरागत मद है। रोडियम-जवाहरात पर पालिश करने में प्रयुक्त होने वाली एक कीमती धातु पर 10 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-शुल्क लगता है। इसे घटाकर 2 प्रतिशत किया जा रहा है।

170. सोने की घरेलू परिशोधन क्षमता बढ़ाने के लिए, मैं स्वर्ण अयस्क और सांद्रों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट के साथ बुनियादी सीमा शुल्क *यथा मूल्य* 2 प्रतिशत से घटाकर स्वर्ण तत्व के प्रति 10 ग्राम 140 रुपये का विशिष्ट शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त, ऐसे अयस्क अथवा सांद्र से बनाए गए परिशोधित स्वर्ण पर उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 280 रुपये प्रति 10 ग्राम का विशिष्ट शुल्क लगाया जा रहा है।

अन्य प्रस्ताव

171. उन खेलों के सामान, जो निर्यात की मद के रुप में महत्व प्राप्त कर रहे हैं, के विनिर्माण हेतु अपेक्षित निर्दिष्ट निविष्टियों अथवा कच्ची सामग्रियों को आयात शुल्क से पूर्ण छूट उपलब्ध है। कुछ और मदों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है।

172. माइक्रोवेव ओवेन्स के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं इसके महत्वपूर्ण हिस्सों में एक नामशः मैग्नेट्रोन्स पर बुनियादी सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

173. वर्तमान में, व्यक्तिगत सामान के रूप में वाणिज्यिक सेम्पल्स के शुल्क-मुक्त आयात पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की मूल्य सीमा है। मैं, इस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं।

174. उद्योग जगत ने निवेदन किया है कि वापसियों पर आधारित 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त शुल्क छूट के कारण निधियों का अत्यधिक अवरोध होता है। इस कठिनाई को आसान बनाने के लिए, मैं खुदरा बिक्री हेतु पहले से ही पैक आकार में आयातित वस्तुओं को विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इसमें मोबाइल फोन, घड़ियां और सिलेसिलाए वस्त्र, चाहे वे पहले से पैक आकार में आयात न किए गए हों, भी शामिल होंगे। नए विधान द्वारा शामिल न किए गए मामलों के लिए भी वापसी-आधारित छूट बनाए रखी जा रही है।

175. खिलौना गुब्बारे लाखों बच्चों की खुशी का स्रोत हैं। उनकी माताओं के चेहरे पर मुस्कान के लिए, मैं उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

176. मैं निम्नानुसार कुछ अन्य राहत उपायों का प्रस्ताव करता हूंः

- पीपलामूल पर बुनियादी सीमा-शुल्क 70 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करना;
- हींग पर बुनियादी सीमा-शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना;
- आरओ प्रौद्योगिकी पर आधारित वाटर फिल्टरों को छोड़कर, घरेलू प्रकार के वाटर फिल्टरों हेतु प्रतिस्थापनीय किटों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करके 4 प्रतिशत करना;

- नालीदार डिब्बों और कार्टनों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना;
- लेटेक्स रबड़ धागे पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना; और
- औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम के अधीन शामिल की गई वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना।

177. सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क संबंधी मेरे कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, इस वर्ष 43,500 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है।

सेवा कर

178. सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान करता है। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद में सेवा कर अनुपात लगभग 1 प्रतिशत ही है। इस तरह, इस क्षेत्र में राजस्व बढ़ने की काफी संभावना है।

179. इस अंतर को पाटने के लिए, मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए तीसरे प्रोत्साहन पैकेज से पहले वाली सेवा कर की दर बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का मेरे पास विकल्प था। मैं विकास की गति बनाए रखने और वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों की दरों में समाभिरूपता लाने के लिए भी इस विकल्प का सहारा नहीं ले रहा हूं। इसलिए, मैं वस्तु और सेवा कर का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सेवाओं पर कर की दर 10 प्रतिशत बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूं।

180. मेरे पास सभी सेवाओं को सेवा कर के अंतर्गत लाने का दूसरा विकल्प था। मैं इनमें से किसी का चयन इस चरण में नहीं कर रहा हूं। फिर भी मैं अब तक कर से छूटी कुछ सेवाओं को सेवा कर उगाही के क्षेत्राधिकार में लाने का प्रस्ताव करता हूं। ये अलग से अधिसूचित की जा रही हैं।

181. मैं राजस्व हानियों को रोकने, गड़बड़ियां समाप्त करने और पिछले कुछ समय से उत्पन्न कतिपय शंकाओं को दूर करने के लिए कुछ विधायी परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मैं इन ब्यौरों का विस्तृत वर्णन करने के लिए सदन का कीमती समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये वित्त विधेयक और अन्य बजट दस्तावेजों में उपलब्ध हैं।

182. सेवाओं का निर्यात विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में प्रचुर रोजगार सृजित करता है और विदेशी मुद्रा लाता है। मैं, सेवाओं के निर्यात की परिभाषा और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन करते हुए, सेवाओं के निर्यातको को संचित ऋण की वापसी की प्रक्रिया सरल बनाने का प्रस्ताव करता हूं।

183. प्रत्यायित समाचार एजेंसियां, जो ऑनलाइन समाचार देती हैं, पर सेवा कर लगता है। समाचार का प्रसार-प्रचार करने में ऐसी समाचार एजेंसियों की स्वैच्छिक सेवाओं को देखते हुए, मैं कतिपय मानदंड पूरा करने वाली ऐसी समाचार एजेंसियों को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

184. सेवा कर से संबंधित मेरे प्रस्ताव से इस वर्ष 3,000 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है।

185. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में परिवर्तन लाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

186. प्रत्यक्ष करों संबंधी मेरे प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, इस वर्ष 26,000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, वर्ष 46,500 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होने का अनुमान है। मेरे कर प्रस्ताव में दी जा रही रियायतों और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किए गए उपायों के मद्देनजर इस वर्ष 20,500 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है।

187. हम वैश्विक मंदी से किसी अन्य राष्ट्र की तुलना में अधिक शीघ्रता से बाहर निकले हैं। मैंने विगत वर्ष के कार्य के तरीके पर अपना निर्णय देने में संकोच नहीं किया और अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। आज, हमारे कार्य हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे।

188. यह बजट *'आम आदमी'* का है। यह किसानों, कृषकों, उद्यमियों और निवेशकों का है। बढ़िया अवसर है। यह सही समय है। मैंने ऐसे लोगों के हाथों पर भरोसा किया है, जिन्हें मैं जानता हूं, उन पर राष्ट्रीय हित में किसी भी अवसर पर खड़े होने के लिए विश्वास किया जा सकता है। मैनें राष्ट्र के सामूहिक विवेक पर भरोसा किया है जिनका आगामी वर्षों में अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए सहारा लिया जा सकता है।

189. अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूं।